COURT FEE भारत दस रुपये TEN RUPEES INDIA

(1)

(39)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.क्र. – /2017 पुनरीक्षण PBR/निगरानी/हरदा/भू.रा.सं./2017/2890

आवेदक – हरिराम फुलरे पुत्र स्व0 श्री गंगावीशन जी फुलरे, आयु– 70 साल, व्यवसाय– किसानी, निवासी– ग्राम कमताडा, तहसील– हरदा, जिला– हरदा म0प्र0

श्री G.S. SHARMA द्वारा आज दि. 24-8-17 को प्रस्तुत
24-8-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

रेस्पोडेन्ट – म0प्र0 शासन, द्वारा कलेक्टर हरदा, जिला – हरदा म0प्र0

पुनरीक्षण आवदेन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध **न्यायालय** आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा प्रकरण कमांक **129–ए/2016–17/अपील** में पारित आदेश दिनांक 22.06.2017 जिसके द्वारा **कलेक्टर** जिला हरदा द्वारा प्रकरण कमांक 26–बी/121/16–17 में पारित आदेश **दिनांक** 27.01.2017 में हस्तक्षेप न करते हुये अपील को निरस्त किया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/हरदा/भू.रा./2017/2890

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–2–2018	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के आदेश दिनांक 22–6–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त द्वारा आवेदक की अपील इस आधार पर निरस्त की गई है कि कलेक्टर द्वारा म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की किसी भी धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित नहीं किया गया है, बल्कि शासन द्वारा कलेक्टर से आवेदक के आवेदन पत्र पर प्रतिवेदन मांगे जाने पर कलेक्टर द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने के कारण अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	